

टाका

प्र.स. 40/2021 online No 2021/202

18/10/23

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 20/12/22 को पेश हो।

आदेश से रीवर

12/12/2023

मा. रीवर
60 (पक्षी)
12/12/2023

वकीलता की शैव से अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पत्रावली सिंगल से तलब की गयी। अधिवक्ता वकीलता ने प्रार्थना पत्र में अंकित किता है कि राज्य बंद प्रकरण में पक्षकारों के पहल आपस से शरीकता हो जाने से पक्षकारों के पहल को कोर्ट विवाद नहीं है, प्रकरण को इसी तरह पर खारिज कराये जाने की प्रार्थना की है। अतः अधिवक्ता वकीलता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया वकीलता का वाद पत्र खारिज किया जाना है। पत्रावली के तहत सुनवाई होकर दायित्व दायर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा